भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2800

सोमवार, 7 अगस्त, 2023/ 16 श्रावण, 1945 (शक)

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में पलायन करने वाले मजदूर

2800. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कितने लोग देश के अन्य राज्यों में पलायन कर गए हैं;

(ख) क्या लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है और यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके गृह राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने और उनके पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): एक राज्य से दूसरे राज्य में कामगारों का प्रवास एक सतत प्रक्रिया है और गतिशील प्रकृति का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संबंध में आखिरी निवास स्थान से प्रवास करने वाले प्रवासी क्रमशः 24,15,635 और 10,21,077 हैं। जनगणना-2011 के अनुसार, प्रवासियों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ग): केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के समन्वय से रोजगार के अवसर सृजित करने और ग्रामीण अवसंरचना में सुधार लाने के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं कार्यान्वित कर रही है, ताकि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने, अपनी आजीविका कमाने और अपने निवास स्थानों के निकट अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इस प्रकार यह ग्रामीण आबादी को संकटकालीन पलायन से रोकने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है। ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:

जारी...2/-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) में ऐसे ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीशुदा मजदूरी वाले रोजगार का प्रावधान है। इसके अलावा, देश में अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों या प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त 50 दिनों की मजदूरी वाला रोजगार प्रदान किया जाता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्व-रोजगार के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का प्रावधान करते हैं। बैंक ऋण तक पहुंच के साथ यह प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'रर्बन क्लस्टर' नामक 300 ग्रामीण विकास समूहों को विकसित करना है, जिनमें विकास की अंतर्निहित क्षमता है। इन समूहों की संकल्पना ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करने और अंततः प्रति-प्रवास (रिवर्स माइग्रेशन) की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

स्वरोजगार की सुविधा के लिए सरकार द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई थी। पीएमएमवाई के तहत, सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित या विस्तारित कर सकें।

वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना सरकार द्वारा लागू की जा रही है, जिसमें 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों अर्थात् सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और संभार-तंत्र जैसी अवसंरचना द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है, जो सभी के लिए व्यापक रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करता है।

जारी...3/-

इन पहलों के अलावा, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सभी के लिए आवास आदि जैसे सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम हैं। वे देश में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी उन्मुख हैं। इन सभी पहलों से गुणक प्रभावों के माध्यम से दीर्घावधि में सामूहिक रूप से रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

भारत सरकार ने 2019 में वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000/- रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना के तहत पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इसमें लाभार्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंशदान देय होता है और समान मैचिंग अंशदान का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार के अंशदान के रूप में निधि प्रबंधक होने के नाते एलआईसी को निधि उपलब्ध कराई जाती है।

* ***

अनुबंध

'मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में पलायन करने वाले मजदूर' के संबंध में श्रीमती हिमाद्री सिंह, सांसद (लोक सभा) द्वारा दिनांक 07.08.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आखिरी निवास स्थान के आधार पर प्रवासियों की राज्यवार संख्या		
क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**व्यक्ति**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52,129
2	आंध्र प्रदेश	37,37,316
3	अरुणाचल प्रदेश	1,19,244
4	असम	5,72,064
5	बिहार	7,06,557
6	चंडीगढ़	2,06,642
7	**छत्तीसगढ**	**10,21,077**
8	दादरा एवं नगर हवेली	63,779
9	दमन और दीव	73,782
10	गोवा	1,15,870
11	गुजरात	30,41,779
12	हरियाणा	13,33,644
13	हिमाचल प्रदेश	2,96,268
14	जम्मू और कश्मीर	1,22,587
15	झारखंड	8,24,259
16	कर्नाटक	28,87,216
17	केरल	7,13,934
18	लक्षद्वीप	6,135
19	**मध्य प्रदेश**	**24,15,635**
20	महाराष्ट्र	79,01,819
21	मणिपुर	22,750
22	मेघालय	52,797
23	मिजोरम	62,828
24	नगालैंड	1,10,779
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	20,29,489
26	ओडिशा	8,51,363
27	पुदुचेरी	70,721
28	पंजाब	12,44,056
29	राजस्थान	17,09,602
30	सिक्किम	46,554
31	तमिलनाडु	34,87,974
32	त्रिपुरा	92,097
33	उत्तर प्रदेश	31,56,125
34	उत्तराखंड	6,17,094
35	पश्चिम बंगाल	16,56,952
	भारत	**4,14,22,917**

स्त्रोत: जनगणना आंकड़े -2011